भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
<u>विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय</u>

<u>सं. 1/9/2010–एम.यू.सी.</u> दिनांक 30.08.2011

<u>विदृप्रनि के साथ श्रव्य–दृश्य निर्माताओं का पैनल बनाने के लिए दिशानिर्देश</u>

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को उनके कार्यक्रमों तथा नीतियों के प्रचार के लिए श्रव्य–दृश्य एजेंसियों/निर्माताओं की सेवाओं की आवश्यता होती है। इस उद्देश्य के मद्देनजर विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (विदृप्रनि) विभिन्न सरकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों के श्रव्य–दृश्य प्रचार के लिए श्रव्य–दृश्य निर्माताओं की सेवाओं का प्रयोग करने के लिए पैनल बनाएगा। इस प्रकार की गतिविधियों के लिए विदृप्रनि के पैनल में शामिल श्रव्य–दृश्य निर्माताओं का प्रयोग एक पूल के रूप में किया जाएगा।

<u>सामान्यः</u>

1. ये दिशा–निर्देश इस संबंध में विद्यमान सभी दिशा–निर्देशों/नियमों/मानदण्डों/पूर्ववर्ती निर्णयों का अधिक्रमण करेंगे।

2. ये दिशा–निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

3. महानिदेशक, विदृप्रनि का आशय विदृप्रनि के प्रमुख से है।

4. पैनल बनाना तथा पैनल से हटाना ई.ए.सी. की संस्तुति पर महानिदेशक, विदृप्रनि द्वारा किया जाएगा। हालांकि, असहमति के मामले में, विषय को अंतिम निर्णय के लिए सचिव, सू. और प्र. मंत्रालय को भेजा जा सकता है। निर्माताओं के पैलन बनाने तथा पैनल से हटाने के संबंध में महानिदेशक, विदृप्रनि द्वारा स्वीकृत संस्तुतियां अंतिम होंगी।

5. महानिदेशक, विदृप्रनि द्वारा गठित पैनल सलाहकार समिति (ई.ए.सी.) निम्नानुसार होगी :–

   (क) अपर महानिदेशक, विदृप्रनि– अध्यक्ष।
   (ख) मंत्रालय/संबंधित मीडिया इकाइयों से उप सचिव/निदेशक स्तर का एक प्रतिनिधि जो कि सू. और प्र. मंत्रालय द्वारा नामित किया जाएगा– सदस्य।
   (ग) एम.सी.आर.सी, जामिया मिलिया/बी.एम.सी.(यांत्रिक पत्रकारिता) से सदस्य के रूप में एक प्रतिनिधि– सदस्य।
   (घ) निदेशक (लेखा) विदृप्रनि– सदस्य।
   (ङ.) निदेशक (श्रव्य–दृश्य), विदृप्रनि– संयोजक तथा सदस्य सचिव।

6. विदृप्रनि के पैनल में पहले से शामिल निर्माता जिन्होंने तीन वर्ष की अवधि पूरी कर ली है तथा जो पहली बार पैनल में शामिल होना चाहते हैं वे विदृप्रनि के विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन करेंगे। विदृप्रनि आवश्यकतानुसार नए निर्माताओं के सामान्यतः वार्षिक आधार पर पैनल में शामिल करेगा।

7. विदृप्रनि निर्माताओं को निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों में दर्शाए गए अनुभव जिसके साथ दस्तावेजी साक्ष्य भी हो, उसके आधार पर वर्गीकृत कर सकता है। आवेदक अपने आवेदन में वरीयता की दृष्टि से

उस क्षेत्र का नाम बताएगा जिसमें उसे पूर्व अनुभव है और जिसमें वह भविष्य में भी कार्य करने में रुचि रखता है। विदृप्रनि उन वरीयताओं के आधार पर कार्य उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

(क) सामाजिक क्षेत्र : स्वास्थ्य तथा संबंधित मामले, शिक्षा, महिलाओं तथा बच्चों के मामले, सामाजिक तथा जन कल्याण मामले इत्यादि।

(ख) अवसंरचना क्षेत्रः जल संसाधन, सिंचाई, कृषि, सड़क सुरक्षा, बिजली, ग्रामीण विकास, पर्यावरण इत्यादि।

(ग) वित्त तथा अन्यः कर अनुपालन, उपभोक्ता अधिकार जागरूकता इत्यादि।

(घ) राष्ट्रीय अखंडता, साम्प्रदायिक सौहार्द तथा सामाजिक सौहार्द।

(ङ) रक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित विषय।

अर्हता मानदण्ड

8. विदृप्रनि का निर्माताओं/निर्माण एजेंसियों का निम्नलिखित तीन श्रेणियों में पैनल बनाने का प्रस्ताव है :

श्रेणी क : – टी.वी. धारावाहिक/प्रायोजित दृश्य कार्यक्रम तथा डाक्यूमेंट्री फ़िल्मस्/डॉक्यूड्रामा।

क) इस श्रेणी में विचाराधीन होने के लिए निर्माताओं/निर्माण एजेंसियों के पास न्यूनतम **रु. 10 लाख की कुल परिसंपत्ति** होनी चाहिए।

ख) पिछले तीन वर्षों में प्रति 7 एपिसोड के कम से कम 2 टी.वी. धारावाहिक या प्रति 7 एपिसोड के 2 प्रायोजित वीडियो कार्यक्रम या कम से कम प्रति 5 मिनट अवधि की कम से कम 5 डॉक्यूमेंट्री फिल्में या कम से कम 5 मिनट अवधि के 5 एपिसोडों के डॉक्यूड्रामों का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। उपर्युक्त में से कम से कम आधा निर्माणा कार्य विदृप्रनि/सरकारी विभाग को छोड़कर अन्य ग्राहकों से होना चाहिए।

श्रेणी ख : – प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम।

क) इस श्रेणी में विचाराधीन होने के लिए निर्माताओं/निर्माण एजेंसियों के पास न्यूनतम रु. 8 लाख की कुल परिसंपत्ति होनी चाहिए।

(ख) पिछले 3 वर्षों में एक या अधिक कार्यक्रमों में प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम के कम से कम 13 एपिसोडों के निर्माण करने का व्यावसायिक अनुभव।

(ग) प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम निर्माताओं के पास पर्याप्त सुविधाओं वाला अपना पूर्ण रूप से सुसज्जित श्रव्य स्टूडियो होना चाहिए तथा स्टूडियो और इसके उपकरणों के स्वामित्व का प्रमाण भी उसके पास होना चाहिए।

श्रेणी ग : – श्रव्य–दृश्य स्पॉट्स/दृश्य जिंगल्स।

(क) इस श्रेणी में विचाराधीन होन के लिए निर्माताओं/निर्माण एजेंसियों के पास न्यूनतम रु. 6 लाख की परिसंपत्ति होनी चाहिए।

(ख) पिछले 3 वर्षों में कम से कम 20 श्रव्य स्पॉट्स/जिंगल्स/दृश्य स्पॉट्स(जिनमें से कम से कम 10 दृश्य स्पॉट्स होने चाहिए) के निर्माण का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। कुल 20 श्रव्य/दृश्य स्पॉट्स/जिंगल्स में से कम से कम 5 श्रव्य/दृश्य स्पॉट्स/जिंगल्स का निर्माण विदृप्रनि/सरकारी विभागों को छोड़कर अन्य ग्राहकों के लिए होना चाहिए।

कुल परिसंपत्ति

नेट वर्थ (कुल परिसंपत्ति) से आशय एक उद्यम की अपनी देयताओं के संबंध में परिसंपत्तियों (निर्धारित परिसंपत्तियों को छोड़कर) के आधिक्य से है। इसे कंपनी को भुगतान की गई राशि और संचयी हानियां घटाकर पूर्व आरक्षित, यदि कोई हो तो, के रूप में माना जाएगा। **आवेदक को अपनी परिसंपत्ति का एक सांविधिक लेखा परीक्षक/चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। नेट वर्थ की गणना आवेदन के पूर्वगामी वित्तीय वर्ष के समापन पर की जाएगी।**

विशेष श्रेणी

9. (क) विशेष श्रेणी : व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त युवा निर्माता जिन्होंने पिछले 5 वर्षों के दौरान निर्देशन, सिनेमॉटोग्राफी अथवा संपादन पाठ्यक्रमों में केंद्रीय सरकारी संस्थानों, एफ टी आई आई पुणे और सत्यजित रे फिल्म और टी.वी. संस्थान, कोलकाता से डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त किया है, पैनल में शामिल होने के पात्र होंगे। वे अपनी पुरस्कार/ईनाम प्राप्त निर्माण के साथ आवेदन करें।

(ख) उन्हें, जिस पैनल में वे शामिल होना चाहते हैं, की श्रेणी का कम से कम एक कार्यक्रम का विशेष अनुभव दर्शाना होगा।

आवेदन

10. सभी आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत किये जाने चाहिए। निम्नलिखित सूचना/दस्तावेज/सामग्री आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाएः–

क) निर्मित कार्यक्रम का विवरण, चैनल का नाम जिसमें कार्यक्रम प्रसारित किया गया है, प्रसारण की तारीख और समय तथा टी.वी. सीरीयल/प्रायोजित वीडियो कार्यक्रम उप वर्ग के लिए कार्यक्रम की टी आर पी रेटिंग।

ख) निर्माताओं को पैन नम्बर के साथ पिछले वर्ष की आयकर विवरणी की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। निर्माताओं को अपनी फर्म/कंपनी की पिछले वर्ष की बैलेंस शीट और लाभ–हानि का लेखा जो विधिवत रूप से चार्टर्ड एकाउंटेंट (अपनी सील में चार्टेड एकाउंटेट की सदस्य संख्या दर्शाते हुए) द्वारा प्रमाणित हो प्रस्तुत करना होगा।

ग) अपने सृजनात्मक दल के मुख्य व्यक्तियों का बायो–डाटा। कम से कम निर्देशक, सिनेमाटोग्राफर, स्क्रिप्ट राइटर और संगीत निर्देशक के बायो डाटा के साथ सृजनात्मक दल का गठन भी प्रस्तुत किया जाए। दस्तावेजी प्रमाण के साथ–साथ निर्माता के साथ–साथ सृजनात्मक दल के सदस्य द्वारा जीते गए पुरस्कार का उल्लेख भी किया जाए। निर्माता भी निर्माण सुविधाओं के स्वामित्व/प्रतिधारणता यदि कोई है तो, का दस्तावेजी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगे।

घ) निर्माता इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना सही है। यदि किसी ने भी गलत सूचना प्रस्तुत की है तो उन्हें 3 वर्ष की अवधि के लिए पैनल के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा।

ड.) निर्माता अथवा उसके विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि को अपने खर्च पर ई ए सी के समक्ष प्रस्तुति देनी होगी।

च) निर्माता अपने आवेदन के साथ प्रोसेसिंग फीस के रूप में वर्ग 'ए' और 'बी' के लिए रु. 10000/-(अ-प्रतिदेय) और वर्ग 'सी' के लिए रु. 5000/- (अ-प्रतिदेय) लेखाधिकारी, वि.दृ.प्र.नि. नई दिल्ली के नाम डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करेगे।

छ) आवेदक सभी वर्गों में आवेदन कर सकता है, वशर्ते कि वह निर्धारित मानदण्ड को पूरा करता हो, परंतु प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग प्रोसेसिंग फीस के साथ-साथ अलग-अलग आवेदन करना होगा।

ज) निर्माताओं को पिछले तीन वर्षों में उसके द्वारा किए गए निर्माण कार्यों की शो-रील प्रस्तुत करनी होगी।

झ) निर्माताओं को बहु-भाषाई अनुवाद के लिए क्षमता दिखानी होगी।

<u>अन्य शर्तें</u>

11. वि.दृ.प्र.नि. के पास कार्य की ब्रीफिंग/आवंटन के लिए प्रमुख निर्माताओं, जो पैनल में नहीं हैं और श्रव्य-दृश्य निर्माण के क्षेत्र में विख्यात हैं तथा जिन्होंने निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय पुरस्कारों में से कम से कम एक पुरस्कार जीता हो, को बुलाने का अधिकार है : (I) केन्स लाइन्स इंटरनेशनल एडवरटाइजिंग फेस्टिवल फ्रांस (गोल्डन लाइन, सिल्वर लाइन, ब्रोन्ज़ लाइन); (II) अमरीकन एडवरटाइजिंग फैडरेशन, यूएसए (गोल्डन ऐडी, सिल्वर ऐडी, ब्रोन्ज़ ऐडी), (III) मोबिअस एडवरटाइजिंग अवार्ड, केलिफोर्निया, यू एस ए (बेस्ट कॉमर्शियल, बेस्ट रिक्रिएशन, पब्लिक सर्विस), (iv) क्लिओ अवार्ड, मियामी, यू एस ए (बेस्ट ऐड एजेंसी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट आर्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर), (v) निर्माण वर्ग में एडवरटाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएएआई) द्वारा शीर्ष पुरस्कार (vi) 'एबीबीवाई' अवार्ड, इंडिया (vii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इस प्रकार का अन्य कोई पुरस्कार।

12. कोई भी निर्माता एक से अधिक नाम (अपने नाम से अथवा अपने किसी नजदीकी संबंधियों के नाम से) से पैनल में शामिल होने का पात्र नहीं होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाई/स्वायत्तशासी संगठन के कर्मचारी और कर्मचारियों के नजदीकी रिश्तेदार कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष के बाद ही निर्माता के रूप में पैनल में शामिल होने के हकदार होंगे। (नजदीकी रिश्तेदार अर्थात् पति-पत्नी, आश्रित बच्चे/माता-पिता/भाई-बहन और अन्य आश्रित)

असूचीबद्ध/निलंबन करना

13. यदि कोई निर्माता ब्रीफिंग में शामिल होने के प्रति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता/स्क्रिप्ट प्रस्तुत नहीं करता तो किसी भी ब्रीफिंग के लिए उसके नाम पर 6 माह की अवधि के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई निर्माता तीन अवसरों पर ब्रीफिंग में शामिल नहीं होता/निर्धारित समय पर स्क्रिप्ट प्रस्तुत नहीं करता तो उसे निर्माताओं के बनाये गये पैनल में से हटा दिया जाएगा। निर्माता को अपने मामले को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त अवसर देने के बाद खराब प्रदर्शन अथवा अन्य किसी वैध कारणों से पैनल से हटाया जा सकता है।

14. यह पैनल महानिदेशक, वि.दृ.प्र.नि. के अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष के लिए वैध होगा।

15. आवश्यकतानुसार दिशा–निर्देशों में समय–समय पर संशोधन किया जाएगा।

<u>नामांकन के लिए प्रक्रिया</u>

16. ग्राहक मंत्रालयों के लिए पैनल में शामिल होने के लिए निर्माता का नामांकन अनियमित आधार पर किया जाएगा। कम से कम तीन निर्माताओं का पैनल ग्राहक मंत्रालय को भेजा जाएगा।

17. विदृप्रनि निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत की गई स्क्रिप्टों का मूल्यांकन करेगा। उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर स्क्रिप्ट को मौरिड के क्रमानुसार ग्राहक मंत्रालयों/विभागों को भेजा जायेगा। इसका मूल्यांकन महानिदेशक, विदृप्रनि द्वारा नामित तीन अधिकारियों की समिति का गठन करके किया जाएगा।

18. विदृपनि अपने कार्य के लिए भी मूल्यांकन शीट के आधार पर प्रोड्यूसरों का मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन अनुबंध के रूप दी गई मूल्यांकन शीट के अनुसार गठित तीन सदस्यों की समिति के द्वारा किया जाएगा।

19. किसी ग्राहक मंत्रालय के लिए नामित प्रोड्यूसर को दोबारा तब तक नामित नहीं किया जाएगा जब तक ग्राहक मंत्रालय उसे स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर देता है। प्रोड्यूसर तब तक दौबारा नामित नहीं किया जाएगा जब तक उनको दिया गया कार्य पूरा नहीं हो जाता है। तथापि, यदि मंत्रालय ब्रीफिंग की तारीख से तीन महीनों के अंदर कार्य पर अंतिम निर्णय लेने में सफल नहीं होता है तो प्रोड्यूसर को दोबारा नामित किया जा सकता है।

20. सूचीबद्ध होना इस बात की गांरटी नहीं है कि प्रोड्यूसरों को अनिवार्य रूप से कार्य का आवंटन किया जाएगा।

21. विदृप्रनि निर्माण कार्य के लिए रेट कार्ड अलग से अधिसूचित करेगा।

22. दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में महानिदेशक, विदृप्रनि का निर्णय अंतिम होगा।

– – – – –